

**Metlink (मेटलिंक) पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेसिबिलिटी चार्टर (सार्वजनिक परिवहन सरल उपयोग चार्टर) 2021**

अगले तीन वर्षों (2021-2024) में सालाना समीक्षा की जाएगी

यह चार्टर 2021 से 2031 तक हमारे सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क तक विकलांग लोगों की पहुंच बढ़ाने के लिए मेटलिंक के लिए उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एक मार्ग प्रस्तुत करता है। मेटलिंक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, रेल, फेरी, टोटल मोबिलिटी, इनका समर्थन करने वाली सेवाओं और सुविधाओं के साथ-साथ, भविष्य में मेटलिंक द्वारा और भी किसी तरीके को अपने नेटवर्क में जोड़ना शामिल है, उदाहरण के लिए, ऑन-डिमांड पब्लिक ट्रांसपोर्ट।

यह कथन निम्नलिखित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों के अनुसार तैयार किया गया है:

* विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 (2008 में न्यूज़ीलैंड सरकार द्वारा समर्थित)
* न्यूज़ीलैंड ह्यूमन राईट्स एक्ट (मानवाधिकार अधिनियम)1993
* न्यूज़ीलैंड विकलांगता कार्यनीति 2016-2026

# दृष्टिकोण

मेटलिंक सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क सहजता और आदर के साथ सभी के लिए सुलभ है।

**कार्यवाही**

मेटलिंक निम्न के लिए प्रतिबद्ध है:

**एक कार्य-योजना**

* सुलभ यात्रा की अवधारणा को लागू करने के लिए
* सार्वजनिक परिवहन विकलांगता सलाहकार नेटवर्कों के माध्यम से सह-डिजाइन और परामर्श करना, और सुनिश्चित करना कि विकलांग लोगों और विकलांगता सेवा प्रदाताओं से परामर्श करना, या तो इन समूहों के माध्यम से, या सीधे सार्वजनिक परिवहन बुनियादी ढांचे और सेवाओं की योजना बनाते समय, तथा एक्सेसिबिलिटी (सुलभता) और सुरक्षा के मुद्दों के समाधान के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए
* एक कार्य-योजना विकसित करना और पहली त्रैवार्षिक अवधि के दौरान सालाना इसकी समीक्षा करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी एक्शन प्लान क्षेत्रीय भूमि परिवहन योजना और ग्रेटर वैलिंगटन की दीर्घकालिक योजना एवं सह-निधि सुलभता कार्यों और पहल के लिए मेटलिंक के दृष्टिकोण को सूचित करेगा।

**सुलभ नेटवर्क डिजाइन**

* उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां नेटवर्क और बुनियादी ढांचे की योजना विकलांग लोगों के लिए सहायक हो सकती है
* सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के मुख्य भाग के रूप में टोटल मोबिलिटी को पहचानना और विकसित करना जारी रखना।

**एक्सेसिबल इन्फ्रास्ट्क्चर (सुलभ बुनियादी ढांचा)**

* जहां मेटलिंक का बुनियादी ढांचे के डिजाइन और रखरखाव पर नियंत्रण है, वहां हम निर्णय लेते समय यह सुनिश्चित करने के लिए इस पर विशेष ध्यान रखेंगे कि सभी परिवहन उपयोगकर्ताओं को यात्रा करने के समान अवसर प्राप्त हैं।
* जहां मेटलिंक का बुनियादी ढांचे के डिजाइन और रखरखाव पर नियंत्रण है, वहीं हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे कि हम अपने सभी परिवहन उपयोगकर्ताओं को यात्रा करने के समान अवसर सुनिश्चित कराने के लिए निर्णय लेने में, एक्सेसिबिलिटी को ध्यान में रखने के लिए अपने स्ट्रेटीजिक भागीदारों को प्रभावित कर सकें।
* जब सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की समीक्षा की जाती है या एक निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए बदल दिया जाता है तो प्रासंगिक टेरीटोरियल अथॉारिटी (प्रादेशिक प्राधिकरण) के साथ साझेदारी में काम करें। किसी भी सुविधा-योग्यता की कमी की पहचान करने के लिए ऑडिट में बुनियादी ढांचे और पैदल पहुंच को शामिल करें।
* सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक परिवहन वाहन शहरी बसों के लिए वाका कोताही की आवश्यकताओं और क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन योजना में निर्धारित रेल सुरक्षा लाइसेंस आवश्यकताओं के अनुपालन में विकलांगता सुविधा के लिए आवश्यक मानकों को पूरा करते हैं।

**सुलभ जानकारी**

* जब नेटवर्क परिवर्तन प्रस्तावित और कार्यान्वित किए जाते हैं और जब नया बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है या जब मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार या परिवर्तन प्रस्तावित होते हैं, तो विशेष रूप से विकलांग लोगों की सूचना आवश्यकताओं पर विचार करें
* सुनिश्चित करें कि दोनों देखने और सुनने के चैनलों समेत उपयुक्त प्रारूपों और मीडिया का उपयोग करके सेवाओं की जानकारी सुलभ और व्यापक रूप से उपलब्ध है
* सुनिश्चित करें कि विकलांग लोगों को पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए सभी मेटलिंक सार्वजनिक परामर्श दस्तावेज सुलभ प्रारूपों में प्रदान किए गए हैं।

**एजूकेशन एंड ट्रेनिंग (शिक्षा और प्रशिक्षण)**

* यह सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेटरों के साथ काम करें कि सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सभी कर्मचारियों के प्रशिक्षण में विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त सहायता शामिल है, और अनुबंध की शर्त के रूप में इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता जारी है
* सुनिश्चित करें कि विकलांग लोगों को पर्याप्त और उचित सहायता प्रदान करने के लिए टोटल मोबिलिटी सेवाओं के सभी ड्राइवरों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण उपलब्ध है
* हमारे लोगों को पहुंच और सार्वभौमिक डिजाइन के बारे में जानकारी और जागरूकता के साथ सशक्त बनाने के लिए सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकलांग लोगों की जरूरतों के लिए प्रदान की जाती है।